रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-247/2016/1641/22-2-2016-17(371)/2009

लखनऊ: दिनांक: 30 नवम्बर, 2016

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, बरेली** के सिद्धदोष **बन्दी बब्बू लाल उर्फ इरफान (बन्दी संख्या-35683) पुत्र श्री मोहम्मद जान निवासी ग्राम-बजरिया खानसामा, थाना-गंज, जिला- रामपुर** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-292/1978** के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-प्रथम रामपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04-09-1979 के अन्तर्गत् दोषमुक्त किया गया। सरकार की ओर से योजित शासकीय अपील संख्या-3275/1979 के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302** के अधीन **दिनांक 03-01-1995** को मा0 उच्च नयायालय, इलाहाबाद द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया था, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-247/2016/1641(1)/22-2-2016 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2-जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर।

3-पुलिस अधीक्षक, रामपुर।

4-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

5-कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in